भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र. III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/4010

दिनांक 26.10.17 को श्री महेन्द्र सिंह चौहान अभि0 द्वारा प्रस्तुत

26.10.17
50
7.11.17

(1) महाराज सिंह लच्छी राम कोरी

(2) रोशन लाल पुत्र लच्छी कोरी

निवासी ग्राम विसौर तहसील नई सराय जिला अशोक नगर

....................निगरानीकर्ता जन

बनाम

(1) राम प्रसाद पुत्र खेमा कोरी

(2) जगराम पुत्र खेमा कोरी

(3) जीवनलाल पुत्र खेमा कोरी

(4) राजेन्द्र पुत्र खेमा कोरी

(5) देवेन्द्र पुत्र खेमा कोरी

(6) यशोदा बाई बेवा पत्नि खेमा कोरी

(7) गुड्डी बाई पुत्री खेमा कोरी

(8) भुरिया बाई पुत्री खेमा कोरी

निवासीजन ग्राम विसौर तहसील नई सराय जिला अशोक नगर

प्रीति निगरानीकर्ता जन

निगरानी

निगरानी अधीनस्थ धारा 50 म0प्र0 भू--राजस्व सहिता 1959

निगरानी विरूद्व आदेश अधीनस्थ न्यायालय के श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय की ईसागढ के उनके प्रकरण क्रमांक.23 अपील 16–17 आदेश दिनांक 11.10.2017 के विरूद्व

क्रमशः---2

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(5)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक III / निग / अशोकनगर / भू.रा. / 2017 / 4010

स्थान तथा दिनांक	महाराज सिंह कार्यवाही तथा आदेश बाबूलाल	पक्षकारों एवं अभिभाषक अदि के हस्ताक्षर
02-02-2018	आवेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन, अभि.उप. । अनावेदकगण श्री रामप्रसाद गुडडीबाई भुरियाबाई की ओर से अधिवक्ता श्री अजय सिंह रघुबंशी उपस्थित। 2— प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमों में अंकित किए गये हैं जिन्हें यहां दुहराया नहीं जा रहा है किन्तु उन पर विचार किया गया । प्रकरण में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ईशागढ जिला अशोकनगर के द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 17.11.2017 की प्रमाणित प्रति की छाया प्रति प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी ईशागढ के प्रकरण कमांक 23 / अपील / 16—17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11.10.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है इस प्रश्नाधीन आदेश से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है जहां प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतिम आदेश दिनांक 17.11.17 को पारित कर अपील का अंतिम निराकरण कर दिया गया है ऐसी स्थिति में अब इस निगरानी का कोई महत्व नहीं रह गया है। निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा भी इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं	

—3

की गयी साथ ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी अंतिम आदेश दिनांक 17.11.17 से सहमति व्यक्त की गयी।

प्रकरण में वर्तमान में उपरोक्त उपस्थित तथ्यों से यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है कि अनुविभागीय अधिकारी ईशागढ द्वारा उनके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में अब इस निगरानी प्रकरण को इस न्यायालय में प्रचलित रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतःप्रकरण उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो।

सदस्य

राजस्व मण्डल ग्वालियर